

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं.1/2022-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 18 जनवरी, 2022

सा.का.नि. (अ)- सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा उन वस्तुओं को जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आती हैं, जब उनका आयात अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा एएफसी महिला एशियन कप भारत, 2022 के आयोजन के लिए भारत में किया जा रहा हो, उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अंतर्गत उन पर लगाये जाने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से, उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है।

तालिका

क्रम संख्या	मद	शर्तें
(1)	(2)	(3)
1.	निम्नलिखित वस्तुएं:- i. केलमी रेफरी किट्स, बॉल बॉय यूनिफॉर्म और मैच-डे बिल्स ii. अरामेक्स के माध्यम से भेजी गई प्रतियोगिता संबंधी वस्तुएं iii. आधिकारिक मॉल्टन मैच बॉल्स iv. केलमी एएफसी प्रतिनिधिमंडल/स्वयंसेवक के कपड़े v. देश के झंडे	(क) आयातकर्ता, वस्तुओं के क्लियरेंस के समय सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष निदेशक अथवा उप निदेशक (खेल) खेल विभाग, युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ऐसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हो जिसमें ये दर्शाया गया हो कि वस्तुओं का आयात एएफसी महिला एशियन कप भारत, 2022 के संबंध में किया गया है। (ख) आयातकर्ता, वस्तुओं के क्लियरेंस के समय इस बात की भी अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेगा कि- I. कि इन सभी वस्तुओं जिनमें गिफ्ट आइटम, सूवेनीर, मेमेन्टों को शामिल

	<p>vi. स्लीव्स बैजेज</p> <p>vii. डब्ल्यूएसी मिनी ट्रॉफी</p>	<p>नहीं किया गया है, एएफसी महिला एशियन कप भारत, 2022 के संपन्न होने की तारीख से तीन महीने के भीतर पुनः निर्यात कर दिया जाएगा।</p> <p>II. खपत हो जाने वाली वस्तुओं के संबंध में एएफसी महिला एशियन कप भारत, 2022 के संपन्न होने की तारीख से 3 महीने के भीतर निदेशक अथवा उपनिदेशक (खेल), खेल विभाग, युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।</p>
--	---	---

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/4/2022-टीआरयू]

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार